उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2
संख्या-क0नि0-2-1709/ग्यारह–9(111)/15–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(147)–2015
दिनांक: 08 दिसम्बर, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची–एक एवं अनुसूची–दो में दिनांक 09 दिसम्बर, 2015 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधन

(क) उक्त अनुसूची–एक में, क्रम संख्या 49 की प्रविष्टि में, अर्द्धविराम और शब्द " ; पेन्ट करने या वार्निश करने के लिये प्रयुक्त होने वाले ब्रुश " अन्त में बढ़ा दिये जायेंगे।

(ख) उक्त अनुसूची–दो में, भाग–क में, क्रम संख्या 117 पर दी गयी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"117– टूथ ब्रुश से भिन्न अन्य ब्रुश ; पेन्ट करने या वार्निश करने के लिये प्रयुक्त होने वाले ब्रुश से भिन्न अन्य ब्रुश"

आज्ञा से,

(हरेन्द्र वीर सिंह)
विशेष सचिव।

09 Dec 15 05:03 PSCT UP 0522 2238023 p.2